प्रेषक,

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
उ0प्र0।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण), मैनेजमेंट कमेटी, उ0प्र0।

संख्या–5/501/2023–5/29/2022 लखनऊ दिनांक 19 अप्रैल, 2023

विषयः–**स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के अन्तर्गत उत्कृष्ट(Model) श्रेणी में घोषित ओ0डी0एफ0 प्लस ग्रामों का सत्यापन किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया पेयजल स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–S–11011/2/2020–एस0बी0एम0–डीडीडब्लूएस(Part-4) दिनांक 21.06.2022 व निर्गत आपरेशन गाइड लाइन के चेप्टर संख्या 17 के बिन्दु संख्या 17.5 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से घोषित ओ0डी0एफ0 प्लस मॉडल ग्रामों के सत्यापन हेतु स्पष्ट किया गया है कि राजस्व ग्राम को एक बार ओ0डी0एफ0 प्लस मॉडल ग्राम घोषित किये जाने के उपरान्त 90 दिनों के भीतर ग्राम के सभी घरों को सम्मिलित करते हुए अनिवार्य रूप से तृतीय पक्ष सत्यापन सुनिश्चित करना होगा। ओ0डी0एफ0 प्लस मॉडल ग्राम की घोषणा एवं उसके सत्यापन हेतु निर्धारित प्रक्रिया गाइड लाइन में उल्लिखित है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की गुणवत्ता की समवर्ती निगरानी की जाएगी जो निम्न प्रकार होगीः–

(i) ओ0डी0एफ0 प्लस घोषणा

SBM(G) के IMIS में परिलक्षित वास्तविक लक्ष्यों को पूरा किए जाने पर, ग्राम सरपंच/उप–सरपंच/प्रधान/मुखिया और पंचायत सचिव, ग्रामों में ओ0डी0एफ0 प्लस व्यवस्थाओं के होने के संबंध में यथोचित परिश्रम (due diligence) करेंगे, जिसके बाद पंचायत को ओ0डी0एफ0 प्लस घोषित करने के लिए ग्राम सभा बैठक बुलाई जाएगी। ग्राम सरपंच/उप–सरपंच/प्रधान/मुखिया और पंचायत सचिव, द्वारा हस्ताक्षर कराके पूरे ग्राम पंचायत के लिए ओ0डी0एफ0 प्लस का घोषणा–पत्र अपलोड करके IMIS पर सभी गांवों की ओ0डी0एफ0 प्लस के रूप में घोषणा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ब्लॉक प्राधिकारियों की होगी। ओ0डी0एफ0 प्लस घोषणा प्रमाण–पत्र का प्रारूप अनुलग्नक–XI पर संलग्न है। ग्राम पंचायत अपने प्रत्येक गांव को अलग–अलग समयावधि पर भी ओ0डी0एफ0 प्लस घोषित कर सकती है। इस मामले में, प्रत्येक गांव के लिए अलग–अलग ओ0डी0एफ0 प्लस घोषणा प्रमाण–पत्र तैयार करना होगा और उन्हें IMIS पर अपलोड करने से पहले प्रत्येक पर सरपंच/ उप–सरपंच/प्रधान/मुखिया और पंचायत सचिव, द्वारा हस्ताक्षर करना होगा।

(ii) जिलों द्वारा ओ0डी0एफ0 प्लस सत्यापन

गांव को एक बार ओ0डी0एफ0 प्लस घोषित किए जाने के बाद, जिले को ओ0डी0एफ0 प्लस घोषणा के 90 दिनों के भीतर गांव के सभी घरों को कवर करते हुए, गांव का अनिवार्य रूप से तृतीय पक्ष सत्यापन सुनिश्चित करना होगा। घोषणा और सत्यापन के बीच 90 दिवसीय अवधि का उपयोग किसी भी अंतराल को भरने के लिए किया जाना चाहिए जो उन्हे गांव/पंचायत में निर्धारित ओ0डी0एफ0 प्लस गतिविधियों में मिला हो। सुझाए गए प्रोटोकॉल के साथ–साथ घरेलू और गांव

स्तर पर ओ0डी0एफ0 प्लस सत्यापन के लिए मूल्यांकन हेतु संकेतकों की एक सूची अनुलग्नक–XII पर संलग्न है।

जिले, जिला/ब्लॉक के अधिकारियों या गैर–सरकारी स्वयंसेवकों की तृतीय पक्ष सत्यापन टीमों का गठन कर सकते है। हालांकि गैर सरकारी संगठनों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिले इस सत्यापन के लिए तृतीय पक्ष एजेंसियों को भी शामिल कर सकते है। ओ0डी0एफ0 प्लस की परिभाषा और इसके सत्यापित किये जाने वाले घटको को समझने के लिए सत्यापन टीमों को उचित रूप से प्रशिक्षित किया जाना होगा। सत्यापन की प्रक्रिया में समुदाय के लोगों को शामिल किया जा सकता है।

पहले सत्यापन के भाग के रूप में, प्रत्येक जिले को जिला कलेक्टर द्वारा हस्ताक्षरित जिले को जिला कलेक्टर द्वारा हस्ताक्षरित जिले को ओ0डी0एफ0 प्लस स्थिति की पुष्टि करने वाले ओ0डी0एफ0 प्लस प्रमाण–पत्र को विधिवत रूप से अपलोड करना होगा। इसके लिए एक मूल प्ररूप अनुलग्नक–XIII पर संलग्न है।

उपर्युक्त सत्यापन प्रक्रिया के पश्चात प्राधिकृत कार्मिकों द्वारा IMIS पर गांव को सत्यापित रूप में चिन्हित किया जाएगा। तत्पश्चात, पहले सत्यापन के बाद, गांव का हर वर्ष एक बार ओ0डी0एफ0 प्लस सत्यापन किया जाएगा।

(iii) राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ओ0डी0एफ0 प्लस सत्यापन

हालांकि जिले हर साल 100% ओ0डी0एफ0 प्लस सत्यापन करेंगे, तथापि राज्य के दलों द्वारा नमूना सत्यापन किया जायेगा। जिसमें वार्षिक आधार पर प्रत्येक गांव के कम से कम 5% परिवार शामिल किए जाएंगे। राज्य गांवों का सत्यापन उन्ही संकेतकों के आधार पर कर सकते है जो ओ0डी0एफ0 प्लस गांवों के जिला स्तरीय सत्यापन के लिए निर्धारित है। इस प्रकार IMIS पर ओ0डी0एफ0 प्लस का नमूना सत्यापन राज्य स्तर पर किया जाएगा।

स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) में राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर पर समर्पित निगरानी दल होंगे जो इस मिशन की गतिविधियों की निगरानी के लिए जिम्मेदार होंगे जिनमें क्षेत्रीय स्तर की निगरानी शामिल होगी।

इस कार्यक्रम की समवर्ती निगरानी के लिए स्वतंत्र एजेंसियों/CSO/गैर–सरकारी संगठनों के उपयोग की अनुमति है। केंद्रीय और राज्य मिशन निगरानी गतिविधियों के लिए संबंधित राज्यों में अनुभवी और मौजूद एजेंसियों की सहायता ले सकते है। राज्य स्तर पर M&E गतिविधियों के लिए प्रशासनिक घटक के अनुमेय व्यय का 5% तक उपयोग किया जा सकता है।

जनपद स्तर से घोषित ओ0डी0एफ0 प्लस मॉडल ग्रामों का राज्य स्तर से प्रत्येक गांव के 5% परिवारों का सत्यापन करना कठिन होगा इस लिए राज्य स्तर के होने वाले सत्यापन का कार्य पूर्व में मण्डल स्तर से किया जाता था। उसी व्यवस्था के अनुरूप मण्डलीय उपनिदेशक(पं0) द्वारा आयुक्त स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर यथावश्यक टीमों का गठन कर जनपद स्तर से घोषित ओ0डी0एफ0 प्लस मॉडल ग्रामों का सत्यापन कराया जायेगा। इस सीमा तक राज्य से होने वाले सत्यापन का भी कार्य मण्डल स्तर को प्रतिनिहित किया जाता है। मण्डल स्तर से सत्यापन कार्य किये जाने पर आने वाले व्यय का भुगतान मण्डल स्तर पर उपलब्ध आईईसी/एचआरडी व 15वें वित्त की प्रशासनिक मद की धनराशि से किया जायेगा। मण्डल स्तर से सत्यापन किये गये ओ0डी0एफ0 प्लस मॉडल ग्रामों की रिपोर्टिंग राज्य मिशन कार्यालय को की जायेगी।

सत्यापन हेतु मण्डल/जिला/ब्लाक के अधिकारियों/कर्मियों या गैर–सरकारी स्वयं सेवको से 04 सदस्यों की टीमों (तृतीय पक्ष) का गठन कर सकते हैं। जनपद द्वारा ओ0डी0एफ0 प्लस मॉडल

ग्राम सत्यापन की रिपोर्टिंग DDWS की वेबसाइट के माडयूल PM-75 पर की जायेगी। राज्य स्तरीय सत्यापन हेतु निर्धारित व्यवस्था के अनुसार मण्डलीय उपनिदेशक (पं0)/मण्डलों द्वारा किये गये सत्यापन की आख्या मिशन कार्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी। सत्यापन हेतु निर्धारित प्रोटोकाल के साथ–साथ, घरेलू एवं गांव स्तर पर ओ0डी0एफ0 प्लस मॉडल ग्राम सत्यापन व मूल्यांकन हेतु संकेतको की सूची का प्रारूप संलग्न है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में अनुरोध है कि ओ0डी0एफ0 प्लस मॉडल ग्राम का सत्यापन उक्तानुसार टीमों का गठन कराते हुये निर्धारित समयानुसार पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)
मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ0प्र0।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–कृषि उत्पादन आयुक्त/अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज उ0प्र0 शासन।
2–समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3–समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4–समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0) उत्तर प्रदेश।
5–समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(एस0एन0 सिंह)
उन निदेशक(पं0),
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ0प्र0।

ग्राम सत्यापन की रिपोर्टिंग DDWS की वेबसाइट के माडयूल PM-75 पर की जायेगी। राज्य स्तरीय सत्यापन हेतु निर्धारित व्यवस्था के अनुसार मण्डलीय उपनिदेशक (पं0)/मण्डलों द्वारा किये गये सत्यापन की आख्या मिशन कार्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी। सत्यापन हेतु निर्धारित प्रोटोकाल के साथ–साथ, घरेलू एवं गांव स्तर पर ओ0डी0एफ0 प्लस मॉडल ग्राम सत्यापन व मूल्यांकन हेतु संकेतको की सूची का प्रारूप संलग्न है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में अनुरोध है कि ओ0डी0एफ0 प्लस मॉडल ग्राम का सत्यापन उक्तानुसार टीमों का गठन कराते हुये निर्धारित समयानुसार पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)
मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ0प्र0।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–कृषि उत्पादन आयुक्त/अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज उ0प्र0 शासन।
2–समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3–समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4–समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0) उत्तर प्रदेश।
5–समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(एस0एस0 सिंह)
उन निदेशक(पं0),
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ0प्र0।